# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम अलवर (राज0)

## अपील संख्या 12/173/2018

| अपीलार्थी | बनाम | प्रत्यर्थी |
|---|---|---|
| श्री संतोष मीना<br>निवासी–9/743, लोधी कॉलोनी,<br>नई दिल्ली–110001 | | राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड<br>अधिकारी लक्ष्मणगढ (अलवर) |

प्रवेश तिथि : 27.11.2018

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

## निर्णय

दिनांक: 05.12.18

1. उभय पक्ष अनुपस्थित।
2. प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से जवाब प्राप्त हुआ जिसे अभिलेख पर लिया गया।
3. मैंने पत्रावली का परिशीलन किया।
4. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक: 01.09.18 के माध्यम से आ.ख.नं. 58/2 रकबा 14 बिस्वा/0.17 हैक्टेयर चारागाह से अतिक्रमण हटाने संबंधी 02 बिन्दुओं पर प्रत्यर्थी से सूचना उपलब्ध कराने की वांछा की गई थी।
5. उक्त आवेदन में वर्णित सूचना आवेदक को प्राप्त नहीं होने के कारण आवेदक द्वारा प्रार्थना–पत्र दिनांक: 22.11.2018 के माध्यम से इस न्यायालय को उक्त अधिनियम अंतर्गत प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।
6. प्रथम अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी पक्ष को नोटिस क्रमांक: कोर्ट/ए.डी.एम. प्रथम/आर.टी.आई. अपील/2018/1030–31 दिनांक: 27.11.18 के माध्यम से तलब कर जवाब के साथ इस न्यायालय में उपस्थित होने निर्देशित किया गया।
7. प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से सुनवाई हेतु कोई उपस्थित नहीं हुआ किन्तु पत्रांक: आरटीआई/2018/2423–24 दिनांक: 28.11.18 के माध्यम से बिन्दुवार जवाब नोटिस प्राप्त हुआ जिसे शामिल पत्रावली किया गया।
8. हमने प्रत्यर्थी से प्राप्त जवाब एवं अपीलार्थी की प्रथम अपील का अवलोकन किया। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी के प्रथम आवेदन दिनांक: 01.09.2018 पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(1) में विनिर्दिष्ट समयावधि में विनिश्चय नहीं किया जाकर इस न्यायालय को प्रथम अपील प्राप्त होने पर जारी नोटिस के अनुसरण में जवाब नोटिस प्रस्तुत कर अपीलार्थी को सूचित किया है जो उचित नहीं है।
9. अतः प्रथम अपील आंशिक स्वीकार की जाती है। उक्त आलोक में प्रत्यर्थी विभाग, राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ (अलवर) को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में उक्त अधिनियम अंतर्गत प्राप्त आवेदनों पर पूर्ण गौर कर अविलम्ब विनिश्चय किया जाकर आवेदकों को सूचित करें।
10. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
11. निर्णय घोषित।

COURT OF THE ADDITIONAL COLLECTOR (I) ALWAR (RAJ.)

(ओ.पी.जैन)
अपीलीय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)